भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3318
गुरुवार, 20 मार्च, 2025/29 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एमआरओ पर आईजीएसटी का प्रभाव

3318. डॉ. भोला सिंहः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विमान और विमान इंजन के पुर्जों पर एक समान 5% आईजीएसटी दर लागू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) घरेलू विमान कंपनियों की प्रचालन संबंधी लागत में कितनी कमी आने की संभावना है और देश में एमआरओ क्षेत्र के विकास पर इसका क्या प्रत्याशित प्रभाव पड़ेगा;

(ग) इस नीति परिवर्तन के अनुसार एमआरओ क्षेत्र में रोजगार के अवसरों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(घ) वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकारी प्रोत्साहनों सहित वर्ष 2030 तक देश के एमआरओ उद्योग में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(ङ) विमान अनुरक्षण और मरम्मत के लिए भारत को वैश्विक विमानन केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन से नीतिगत उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) जी हाँ। घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) उद्योग और विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि निर्दिष्ट शर्तों के अधीन विमानों के पुर्जों, घटकों, परीक्षण उपकरणों, औजारों और टूल-किटों के आयात पर 5% की एक समान दर से आईजीएसटी लागू होगा, चाहे उनका नामकरण सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) वर्गीकरण कुछ भी हो।

(ख) से (ङ) यह नीति परिवर्तन भारतीय एमआरओ क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देने और एक मजबूत एवं कुशल विमानन क्षेत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विमान घटकों और पुर्जों के आयात पर आईजीएसटी को घटाकर 5% करने के दूरगामी प्रभाव होंगे जिससे एमआरओ उद्योग को लाभ होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, नए एमआरओ भागीदार आकर्षित होंगे और इस क्षेत्र के विकास में योगदान मिलेगा।

सरकार ने विमान रखरखाव और मरम्मत के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं:

i. केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं के एक भाग के रूप में, मरम्मत के लिए आयातित माल के निर्यात की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही, वारंटी के तहत मरम्मत के लिए माल के पुनः आयात की समय-सीमा तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दी गई है।

ii. 01 सितंबर, 2021 को घोषित नए एमआरओ दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ रॉयल्टी को समाप्त किया गया है और एएआई हवाईअड्डों में एमआरओ के लिए भूमि आवंटन में पारदर्शिता और निश्चितता आई है।

iii. 01 अप्रैल, 2020 से एमआरओ पर संपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

iv. विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम)/एमआरओ द्वारा घरेलू एमआरओ को उप-संविदागत लेन-देन को 01 अप्रैल, 2020 से जीरो-रेटेड जीएसटी के साथ 'निर्यात' माना जाता है।

v. उपकरण और उपकरण किटों पर सीमा शुल्क में छूट।

vi. पार्ट्स के लिए क्लीयरेंस की सरलीकृत प्रक्रिया।

vii. एमआरओ के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति।

*****